# LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
## VIPIN KHAND GOMTI NAGAR, LUCKNOW
## PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA LUCKNOW

**PRINT DATE –** 28/09/2020

**FILE NO.** NR-10/AA/M.CELL/2020

**SCHEME :** GOMTI NAGAR

**PROPERTY:** TCG/1-A-V-6 & TCG/1-A-V-7 VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW.

**WARD** :

**PERMIT NO.** : **MAP-20181011115032947**

**SITE OF** : COMMERCIAL

**NAME** : **EXPERION HOSPITALITY PVT. LTD. AND EXPERION DEVELOPERS PVT. LTD.**

**ADDRESS** : 9TH FLOOR CYBER HEIGHTS, VIBHUTI KHAND GOMTI NAGAR LUCKNOW.

Sanction vide order dated **14-07-2020** of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

**Date of Validity** : **11-01-2022** (पूर्व स्वीकृत मानचित्र परमिट सं0–41210 के अनुसार)

**Restriction if required** : पृष्ठ भाग पर अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।

**Signature of Competent Authority (BHAWAN)**
**Under the U.P.**

**प्रतिबन्ध–**

1. निर्माण पूर्ण करने के पश्चात प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, तदोपरान्त भवन के उपयोग आदि की अनुमति दी जायेगी।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्केपिंग एवं खुले भाग में आवश्यक वृक्ष लगाना अनिवार्य है तथा शासनादेश के अनुसार स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था पूर्ण करनी होगी।
3. भू–स्वामित्व, चौहददी तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नही होगा।

. पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के रूप में ही करना होगा अन्यथा उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होगा।
5. यदि भविष्य में कोई देयता निकलती है तो मांगे जाने पर प्राधिकरण खाते में अविलम्ब जमा करना होगा।
6. स्थल पर निर्माण के समय इस आशय का एक सूचना पटट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हो।
7. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
8. भू–स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर किसी प्रकार के गडढे न हों तथा उसमें जल–भराव न हो, यदि ऐसा पाया जाता है तो उसका भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
9. भवन निर्माण के पश्चात बेसमेंट का उपयोग पार्किंग हेतु मान्य है अन्यथा उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
10. बेसमेंट का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व खनन विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है अन्यथा प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
11. बेसमेंट के निर्माण के समय समस्त सुरक्षा प्रबन्धों की व्यवस्था करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की क्षति होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष/निर्माणकर्ता की होगी।
12. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है तो उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
13. माननीय उच्च न्यायालय के समीप होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा के सम्बन्ध में समय–2 पर जारी सुरक्षा सम्बन्धी आदेशों का पालन करना होगा।
14. यह परमिट पूर्व में स्वीकृत मानचित्र परमिट सं0–41210 दिनांकः 12.01.2017 के स्थान पर संशोधित मानचित्र के रूप में जारी किया गया है। अतएव पूर्व में जारी परमिट सं0 41210 दि0 12.01.2017 को नयी परमिट जारी होने के दिनांक से स्थगित कर दिया गया है/स्थगित समझा जायेगा।